RAJYA SABHA

Wernesday, the 16th March, 1966 the 25th Phalguna, 1887 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

REMITTANCES ABROAD BY FOREIGN BANKS

*546. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any permission is required for transfer of money from Indian branches of Foreign Banks in India to Pakistan branches of the same banks in Pakistan;

(b) whether any cases have come to light where non-Indian Tea Companies in India have sent their contributions to Pakistan Defence Fund without contributing anything to the Indian Defence Fund; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, what is the amount involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Question does not arise.

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know what sort of permission or sanction they have to take for transfer of money from India to any other country?

SHRI B. R. BHAGAT:: They have to obtain prior approval of the Reserve Bank for any remittances outside.

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know whether the hon. Minister has received any complaints about anti-Indian activities of these Tea Companies and their pressing the employees not to make contributions to the Indian Defence Fund?

SHRI B. R. BHAGAT: As for remittances, we have said 'no'. As for their pressing the employees to do that, we have not received any complaints but certainly that will be within the purview of either the Ministry of Home Affairs or the Ministry of External Affairs, because it is a political matter.

जल दूषण नियन्त्रण विधेयक

*547. **श्री भगवत नारायण भार्गव**: क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) जल दूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में सरकार कब तक संसद् में एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है; और

(ख) देश के किन किन स्थानों पर जल दूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित कर दिये गये हैं?

†WATER POLLUTION CONTROL BILL

*547. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) the time by when Government propose to bring a Bill before Parliament regarding water pollution control; and

(b) the names of the places in the country where the Water Pollution Control Boards have been set up?]

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये विधेयक की जांच इस उद्देश्य के लिए बनी एक समिति द्वारा की गई थी और इस समिति के सुझावों के आधार पर इसे दुबारा तैयार किया जा रहा है। यह समिति इसकी पुन: जांच करेगी और इसे सदन में पेश किये जाने से पहले जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 252(1) में दिया गया है, इसे राज्यों के विधान मण्डलों में आवश्यक प्रस्ताव पारित करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया जायेगा।

†[ ] English translation.

(ख) अभी तक किसी भी राज्य ने इस संबध मे कोई वैधानिक उपाय नही बरते है। तथापि उत्तर प्रदेश मे एक असाविधिक निस्राव (एफल्योएण्ट) बोर्ड कार्य कर रहा है।

†[THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (DR. SUSHILA NAYAR) : (a) The Bill drafted by the Ministry of Law was examined by a Committee constituted for this purpose and is being redrafted in the light of the suggestions of the Committee It will be re-examined by the Committee and would be circulated to the State Governments for passing the necessary Resolutions in the State Legislatures as required under Article 252(1) of the Constitution before the Bill can be brought before Parliament.

(b) No legal measure in this regard has so far been made by any of the States. However, a non-statutory Effluent Board is functioning in Uttar Pradesh]

श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या मै यह जान सकता हूं कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से है और इसका हल कब तक निकलेगा ?

डा० सुशीला नायर . श्रीमन्, बातचीत तो हम कोई साल दो साल से कर रहे है कि दरियाओ का पानी किस तरह से शुद्ध रखा जाये, खास करके यह जो उद्योगो का गदापानी, मैला पानी नदियो मे डाला जाता है उसकी रोकथाम की जा सके। इसके लिये ड्राफ्ट कानून वगैरह बनाया गया वह पिछले साल मे ड्राफ्ट किया गया और उसके बाद कमेटी के पास भेजा गया। यह काम कब तक पूरा हो जायेगा उसकी निश्चित तारीख तो मै नही दे सकती हू। मगर मेरी कोशिश है कि यह जल्दी से जल्दी हो सके।

श्री भगवत नारायण भार्गव : इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और पहाडी क्षेत्रों मे यह समस्या उग्र रूप धारण कर रही है, मै जानना चाहता हू कि राज्यों मे जहा कि अधिकतर पहाडी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र जो पिछड़े हुए है उनमे वाटर बोर्ड अब तक क्यों नही बनाया गया ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन, यह दरियाओ के पानी को शुद्ध रखने की बात है। मै माननीय सदस्य की जानकारी के लिये इतना निवेदन कर दू कि जहा जहा सरवे किया गया है वहा पता चला है कि हमारे लोग अधिकतर कुओं का या तालाब का पानी पीते है, बहुत कम लोग दरिया का पानी पीते है। लेकिन तो भी दरिया के पानी को सुरक्षित रखना चाहिये यह हम मानते है और उसके लिये काम हो रहा है। पहाड़ी इलाकों के लिये अलाहिदा वाटर बोर्ड बनाने की तो बात नही है लेकिन वहां के लिये शुद्ध पेय जल योजना बनाने का विचार हो रहा है।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया: क्या मत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि कई स्थानो में, उदाहरण के लिये नागदा मे, फैक्टरी का जो पानी आता है वह खराब पानी चम्बल नदी मे मिला दिया जाता है और उसी पानी को लोग पीते है। आगे जाकर काफी दूर तक उस पानी का उपयोग होता है। ऐसी स्थिति मे कानून के अभाव में जो पानी इस तरह बिगडता जा रहा है क्या हम उसको बिगडते रहने दे या कोई ऐसी योजना बनायी जा रही है जिससे आगे न बिगडे और लोगों को कष्ट न हो ?

डा० सुशीला नायर श्रीमन्, बढते हुए औद्योगीकरण के कारण नदियों मे, दरियाओ मे, कच्चा एफ्ल्योएन्ट डालने से पानी पीने वालो को नुकसान होने की संभावना है। इसी हेतु से यह ड्राफ्ट बिल हमने तैयार किया है और इस बारे मे कानून पारित होगा तो इसमे जरूर रोकथाम लगेगी। इस दर्मियान हम सब कारपोरेशन्स को और दूसरे जो भी

†[ ] English translation.

अधिकारी हैं स्टेट सरकारों में उनको सलाह मशविरा दे रहे हैं कि लाइसेन्स देने से पहले वे इस चीज की तरफ तवज्जह दें कि जो उद्योगों का गंदा पानी है, एफ्ल्योएन्ट है, उसको वे बराबर ट्रीट करें और उसके शुद्धीकरण के लिये जो उपाय करने चाहियें करने के बाद ही वे पानी नदियों में डालें। और यह सब प्रबन्ध जब तक न हो, उद्योग लगाने की इजाजत न दें।

SHRI C. D. PANDE: May I know what steps Government is taking to keep the water of Jamuna pure, because the unfiltered water supplied to the residences of Members of Parliament or even to the bungalows of Ministers is so offensive in smell that it looks as if it is coming out of sewerage rather than from a river? It is a question of the capital city and the river flows near the capital city. If you make a survey and pass a Bill after some years, the trouble will get aggravated.

DR. SUSHILA NAYAR: Sir, the question of keeping the holy waters of Jamuna pure and free from sewerage has been engaging the attention of the Delhi Municipal Corporation and the Government for some time and the sewerage schemes that have been undertaken are expected to be completed within the next few months and once that is done, all the sewerage will go straight to Okhla and the Jamuna water will be spared the contamination with this dirty water.

श्री देवकीनन्दन नारायण : क्या मंत्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी और उनकी जानकारी में यह बात होगी—कि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जो तीर्थक्षेत्र हैं वहां तीर्थयात्रा करने के लिये लाखों आदमी इकट्ठा होते हैं और नदियों के पास में ही पाखाने को जाते हैं, वहीं साफ करते हैं, बहुत बड़ी गंदगी करते हैं —इस संबंध में भी कोई रोकटोक करने का विचार है?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, मैं बहुत नम्रता माननीय सदस्य का सहयोग चाहती हूं और औरों का भी कि वे लोगों को समझाएं कि इस प्रकार से गंदगी नहीं करें। कानून के द्वारा लोगों की सैनिटरी हैबिट्स को दुरुस्त किया जा सके, यह थोड़ा कठिन मामला है।

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय में यह अहसास है कि केवल पानी पीने से ही छूत नहीं लगती है, बल्कि पानी में स्नान जब लोग करते हैं तो कुल्ला भी करते हैं और उतना ही करने से छूत की बीमारी लग जाती है। मंत्री महोदया ने यह भी कहा कि दिल्ली के लिये पानी का प्रबन्ध हो जायेगा और नीचे से सीवरेज ओखला में चला जायेगा। तो क्या वह गंदगी नहीं करेगा और क्या जमुना के किनारे दिल्ली से नीचे जो लोग रहते हैं उनका जीवन दिल्ली के निवासियों से कम बहुमूल्य है और उनके लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है?

डा० सुशीला नायर : श्रीमान्, माननीय सदस्य ने जवाब समझा नहीं। ओखला के स्थान पर सीवेज जमुना में डालने की बात मैंने नहीं कही। ओखला में हमने एक बड़ा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाया है जिसमें सीवेज का शुद्धीकरण होगा। उसके बाद जो पानी जमुना में जायेगा उससे कोई नुकसान नहीं होगा।

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know whether the Minister is aware that all this discharge from the sewers in the river is at a point before it comes to the city and that is the cause of all this adulterated water coming through the water supply line? May I know what steps are being taken to stop this discharge at that point and to see that the discharge is made downstream when the river has passed out of the city?

DR. SUSHILA NAYAR: Sir, the hon. Member is not correct in saying that the discharge is above the water supply intake point. The water supply intake is above the discharge points of all these various nullahs, etc. We have taken very good care of that. The hon. House will remember that we had a barrage built so that even the back flow due to

the low pressure of water in the river at certain times of the year does not take place. We are going further and are trying not only to protect the drinking water supply but also to free the river completely from sewage discharge by taking the sewerage to the Okhla Sewage Plant.

*548[*The questioner (Shri A. D. Mani) was absent. For answer* vide *col.* 3322, infra.]

*549[*The questioner (Shri S. S. Mariswamy was absent. For answer,* vide *col.* 3323 infra.]

*550 [*The questioner (Shri Ram Singh) was absent. For answer,* vide *col.* 3323 infra.]

*551[*The questioner (Shri D. Thengari) was absent. For answer,* vide *col.* 3324 infra].

†CREATION OF ASIAN FOOD TRUST

*501. SHRI R. K. BHUWALKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to create an Asian Food Trust under the control of the Asian Development Bank; and

(b) if so, what is the reaction of the Government of India to the proposal?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI SACHINDRA CHAUDHURI): (a) No, Sir, we are not aware of any such proposal.

(b) The question does not arise.

यू० डी० सी० स्टेनोग्राफर

*552. **श्री अब्दुल गनी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जून, 1963 से पूर्व जिन स्टेनो-टाइपिस्टों की पदोन्नति यू० डी० सी०/जूनियर स्टेनोग्राफर के रूप में की गई थी, उन्हें उनके वेतनों को नये ग्रेड में निश्चित करने के पश्चात् बकाया वेतन दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि जिन स्टेनो-टाइपिस्टों की 1 जून, 1963 के पश्चात यू० डी० सी० के रूप में पदोन्नति की गई है; उन्हें बकाया वेतन नहीं दिया गया है यद्यपि उन्हें वेतन-वृद्धि प्रदान कर दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

‡*U.D.Cs.* STENOGRAPHERS

*552. SHRI ABDUL GHANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to State:

(a) whether it is a fact that the Stenotypists who were promoted as U.D.Cs./ Junior Stenographers before 1st June, 1963 were given arrears of pay after fixation of their salaries in the new grade;

(b) whether it is a fact that the Stenotypists who have been promoted after 1st June, 1963 as U.D.Cs., have not been allowed the arrears of pay although the increments were given; and

(c) if so, what steps Government propose to take to remove this anomaly?

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) पहली जून 1963 से पहले जिन स्टेनोटाइपिस्टों की तरक्की यू० डी० सी०/स्टेनोग्राफरों के रूप में हुई थी उनका वेतन, उस समय के आदेशों के अनुसार, तरक्की से पहले लिए गए विशेष वेतन को हिसाब में लेते हुए, उच्चतर पद के वेतन-मान में नियत किया गया था। इस आधार पर मिलने वाली बकाया रकम भी उन्हें दी गई थी।

(ख) पहली जून 1963 से आदेशों में संशोधन किया गया और उच्चतर पद में वेतन नियत करने का आधार बदल गया। कई प्रति-वेदन (रिप्रेजेन्टेशन) मिलने पर इन आदेशों में 25 फरवरी, 1965 को और संशोधन किए गये तथा ऐसे मामलों की फिर से जांच करने की व्यवस्था की गई जिनमें 1 जून, 1963 के आदेशों के अनुसार वेतन नियत किया गया था, पर शर्त यह रखी गई कि 25 फरवरी 1965 से पहले की बकाया रकम नहीं दी जाएगी।

†Transferred from the 14th March, 1966.

‡[ ] English translation.